

प्रेस नोट दिनांक 04.09.2021

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 315/21 में अवनीश पुत्र रमेश को लूट के इरादे से गोली मारकर घायल करने वाले 01अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ एक मोटर साईकिल एवं अवैध असलहा सहित किया गिरफ्तार :-

अवगत कराना है कि दिनांक 01.09.2021 को अज्ञात बदमाशों के द्वारा देहरादून – अम्बाला हाइवे पर सरसावा कट के पास समय करीब 14.40 बजे दोपहर में अवनीश कुमार पुत्र रमेश नि0 शेरपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर को लूट के इरादे से गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर सनसनी फैला दी थी। जिसके सम्बन्ध में घायल के पिता श्री रमेश कुमार की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 315/2021 धारा 307 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजिकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। उपरोक्त सनसनी खेज घटना के अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय स0पुर द्वारा थानाध्यक्ष थाना सरसावा धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये आज दिनांक 04.09.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक नकुड के निर्देशन में व थानाध्यक्ष थाना सरसावा धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 राजकुमार यादव द्वारा मय पुलिस टीम के घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त **कैलाश उर्फ चम्पू पुत्र रामसिंह निवासी कमल फैक्ट्री के पास इन्ड्रस्ट्रियल एरिया थाना सिटी यमुनानगर जिला यमुनानगर हरियाणा को मय अवैध हथियार व कारतूसो मय एक चोरी की मोटरसाईकिल के बाद पुलिस मुठभेड़ भिक्कनपुर अण्डरपास के पास अम्बाला हाइवे से समय करीब रात्री 00.15 बजे गिरफ्तार किया गया। तथा प्रकाश में आया दूसरा अभियुक्त मुनीश उर्फ मोनू पुत्र दिनेश कुमार नि0 म0नं0 30 इन्द्रा गार्डन निकट आईटीआई थाना गाँधीनगर जिला यमुनानगर हरियाणा मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-**

नाम व पता अभियुक्तगण

1. कैलाश उर्फ चम्पू पुत्र रामसिंह निवासी कमल फैक्ट्री के पास इन्ड्रस्ट्रियल एरिया थाना सिटी यमुनानगर जिला यमुनानगर हरियाणा (गिरफ्तार)

2. मुनीश उर्फ मोनू पुत्र दिनेश कुमार नि0 म0नं0 30 इन्द्रा गार्डन निकट आईटीआई थाना गाँधीनगर जिला यमुनानगर हरियाणा (फरार)

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद मोटर साईकिल हीरो सीडी डीलेक्स रजि0 नम्बर – एचआर 60 डी 1980 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 147/2021 धारा 379 आईपीसी थाना- सनौली पानीपत हरियाणा)

2. एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पूछताछ विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त कैलाश द्वारा बताया गया कि घायल अवनीश एचडीएफसी बैंक शाखा निकट कमानी चौक यमुनानगर हरियाणा में कलक्शन कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, हम लूट के इरादे से उपरोक्त बैंक से ही अवनीश उपरोक्त के साथ – साथ चल रहे थे, और लूट के इरादे से सरसावा कट से आगे अवनीश को गोली मारकर के घायल किया गया। हाइवे पर अचानक और गाडियों के आने की वजह से लूट करने में विफल होकर वापस यमुनानगर भाग गये थे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

कैलाश उर्फ चम्पू उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 – 315/2021 धारा – 307/393 भादवि थाना सरसावा, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 – 319/2021 धारा – 307/414 भादवि थाना सरसावा, सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 – 320/2021 धारा – 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा, सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 – 147/2021 धारा – 379 आईपीसी थाना सनौली पानीपत हरियाणा

मुनीश उर्फ मोनू उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 – 315/2021 धारा – 307/393 भादवि थाना सरसावा, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 – 319/2021 धारा – 307/414 भादवि थाना सरसावा, सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 – 147/2021 धारा – 379 आईपीसी थाना सनौली पानीपत हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम:-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री राजकुमार यादव
3. है0कां0 221 संजीव कुमार
4. है0कां0 639 मुकेश कुमार
5. कां0 1535 रोहित मान।

नोट:- उपरोक्त घटना के शीघ्र व सफल अनावरण के फलस्वरूप श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर ने उपरोक्त टीम को उत्साहवर्धन हेतु 10,000/- रु0 नगद पुरुष्कार से पुरुष्कृत करने की घोषणा की है। फरार अभियुक्त मुनीश की गिरफ्तारी के प्रयाश जारी है।

प्रेस नोट दिनांक 4.09.2021 थाना नागल जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी देवबन्द महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री बीनू चौधरी थानाध्यक्ष थाना नागल के कुशल नेतृत्व मे थाना नागल पुलिस द्वारा दो शातिर चोर 1. मोनू S/0 जगपाल उर्फ जग्गू R/0 ग्राम बढेडी कोली थाना नागल जनपद सहारनपुर 2. शुभम S/0 शिवकुमार R/0 ग्राम बढेडी कौली थाना नागल जनपद सहारनपुर को दिनांक 03.09.2021 समय 17.00 बजे ब्लाक तिराहा कस्बा नागल से गिरफ्तार किया गया जो सरकारी गोदाम बाल विकास परियोजना से चोरी किये गये माल / खदान का रूप परिवर्तित कर बेचने की फिराक मे थे अभिगण के कब्जे से एक अदद तमन्चा 12 बोर मय 1 कारतूस जिन्दा 12 बोर एवं थाना हाजा के मुकदमे से सम्बन्धित भारी मात्रा मे चोरी शुदा माल दाल, एवं रिफाईण्ड बरामद किया गया

अभि० का नाम व पता:-

1. मोनू S/0 जगपाल उर्फ जग्गू R/0 ग्राम बढेडी कोली थाना नागल जनपद सहारनपुर
2. शुभम S/0 शिवकुमार R/0 ग्राम बढेडी कौली थाना नागल जनपद सहारनपुर

बरामदगी

1. एक अदद तमन्चा 12बोर मय जिन्दा कारतूस
2. 75 लीटर रिफाईण्ड तेल
3. 330 किलो दाल चना
4. उपरोक्त घटना मे प्रयुक्त रेडा

अभि० मोनू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1 मु०अ०सं०172/21 धारा 457/380/411 भादवि
- 2 मु०अ०सं० 173/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

अभि० शुभम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०172/21 धारा 457/380/411 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ०नि० रामकिशन सिंह
2. है०का०376 सचिन कुमार
3. है०का०586 राजीव पंवार

आवश्यक सूचना यातायात पुलिस सहारनपुर।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक: 05.09.2021 को जनपद मुजफ्फरनगर में होने वाली किसानों की पंचायत के दृष्टिगत जनपद सहारनपुर में बाईपास पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से एवं जाम रहित चलाये जाने हेतु बस/कार आदि हल्के वाहनों के वाहन स्वामियों/चालकों से अपील की जाती है, कि दिनांक 05.09.2021 को अपने वाहनों को संचालित करने के लिये वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का कष्ट करे। उपरोक्त दिनांक को यातायात पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करते हुए एक सुखद एवं जाम रहित व्यवस्था बनाये जाने का कष्ट करें।

वैकल्पिक मार्ग पर संचालन की सलाह भारी वाहनों के लिये नहीं है। भारी वाहन पूर्वत ही बाईपास से संचालित रहेंगे। यह केवल हल्के वाहनों कार-बस आदि के लिये है।

प्रेस नोट दिनांक 04-09-2021

थाना बडगांव पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 03-09-2021 को थाना बडगांव पुलिस द्वारा ग्राम चिराऊ से अभि० नन्दु उर्फ नन्दकिशोर पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम चिराऊ थाना बडगांव, सहारनपुर को 23 पव्हे देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु०अ०सं० 147/21 धारा 63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 03-09-2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा ग्राम सलारपुर थाना गंगोह से अभि० 1-भोपाल पुत्र रोशन व 2- सागर पुत्र पंखी निवासी ग्राम सलारपुर थाना गंगोह, सहारनपुर को 16 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 443/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० व 272,273 भादवि पंजीकृत किया गया।

थाना बेहट पुलिस द्वारा गौकशी करते 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 03-09-2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा जंगल ग्राम डाडवा थाना बेहट से अभि० 1-अकरम पुत्र शकूर व इसरार पुत्र सुलेमान निवासी पठलोकर थाना बेहट, सहारनपुर को गौकशी करते समय कब्जे से 45 किलोग्राम गौमांस व गौकशी के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु०अ०सं० 437/21 धारा 3/5/8 गौवध अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना बेहट पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 03-09-2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा जंगल कस्बा बेहट से अभि० 1-सोनू पुत्र सलीम व 2-पाल्ली पुत्र ताहिर निवासी इन्द्रा कालोनी थाना बेहट, सहारनपुर को 01-01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु०अ०सं० 439,440/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना को०देहात पुलिस द्वारा सटटे की खाईबाडी करते 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 03-09-2021 को थाना को०देहात पुलिस द्वारा रविदास मन्दिर ग्राम पिंजौरा से अभि० सुभम पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम पिंजौरा थाना को०देहात, सहारनपुर को सटटा पर्चा, पेन्सिल मय 650/रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को०देहात पर मु०अ०सं० 452/21 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना को०देहात पुलिस द्वारा अवैध चरस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 03-09-2021 को थाना को०देहात पुलिस द्वारा एल्पाईन स्कूल के पास से अभि० सलमान उर्फ मुन्ना पुत्र मासूम निवासी हबीबगढ निकट लडकियों का मदरसा थाना को०देहात, सहारनपुर को 120 ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को०देहात पर मु०अ०सं० 453/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीड़िया/सोशल मीडिया सेल
जनपद सहारनपुर।